प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 10 अगस्त, 2017***

विषय:- जिला कारागार, फैजाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हरिप्रसाद सिंह पुत्र श्री टीडी सिंह, निवासी जनपद-फैजाबाद की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-42941/प्रोबे0-5-द0या0 बैठक-28.10.2016 दिनांक 02.12.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, फैजाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हरिप्रसाद सिंह पुत्र श्री टीडी सिंह, निवासी-ग्राम-सनेथू, थाना-पूरा कलन्दर, जनपद-फैजाबाद का रहने वाला है। बन्दी द्वारा दरवाजे की जमीन पर कब्जे की रंजिश को लेकर दिनांक 18.10.2009 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर कट्टे एवं बन्दूक से गोली मारकर 01 वयक्ति की हत्या कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-67/10 एवं 68/10 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फैजाबाद के आदेश दिनांक 02.05.2013 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 12.10.2016 तक 06 वर्ष 11 माह 21 दिन की अपरिहार अजा तथा 08 वर्ष 01 माह 15 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का 01 अन्य सहअभियुक्त कारागार में सजा भुगत रहा है। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा कारित अपराध की प्रकृति, काटी गयी सजा, जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी हरिप्रसाद सिंह (बन्दी संख्या-6344/13) पुत्र श्री टीडी सिंह निवासी जनपद-फैजाबाद की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-633/2017/610/(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फैजाबाद।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, फैजाबाद।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in